

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग - 2

प्रपत्र संख्या - 43 ए. (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

कोषागार/बैंक का नाम व शाखा S.B.I G.B.B Lucknow
 1. जिस व्यक्ति (प्रधान अथवा अधिकारी) या डिप्टी क्लर्क एवं उपस्थित
 संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा लि० कारा ऊपर उदेश प्रमुख
 रही है उसका नाम श्री लखो प्र कुमार मिश्र
 2. या श्री विश्ववीर कामपाले मल विप्लव खण्ड गोगली माल
लखनऊ

3. संजीकरण संख्या/पत्र का नाम व संख्या संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण ₹ 19,02,000/- के (NIN. S. 19.02.000)
 (नफ़ासि लिखें कि जमा की जा रही है जमा
 किस विभाग के पत्र में जमा की जा रही है)

5. धारण की संकल पत्रिका 2030-स्टाम्प तथा सर्वोत्तर पुस्त
 6. चालान की निष्ठा पत्रिका 103-स्टाम्पों की किता
 7. संस्था सौंपक का पूर्ण विवरण 1302 (SAB)
 सौंपक की मुद्रा ORIGINAL STAMP
 8. संस्था सौंपक की 13 विहित पत्रिका

पुस्त संख्या-सौंपक	पत्र पुस्तिका-सौंपक	सौंपक	पत्र-सौंपक	खरीदार-सौंपक	धनराशि (अंश में)
0030	02	102	02	04	₹ 19,02,000

धनराशि (शब्दों में) दो करोड़, इक्कीस लाख ही इज्जामात्र

D.D. No 992871 ₹ 19,02,000
 चालान में संस्थासौंपक की मुद्रा करने वाले 3/3/13
 विभागाध्यक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित प्रधान कोषागार के हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या 992871
 दिनांक 3/3/13
 RECEIVED
 M I C
 31 MAR 2013
 जमा की गई राशि ₹ 19,02,000/-
 शब्दों में दो करोड़, इक्कीस लाख मात्र

प्राप्त किया 3/3/13
 कोषागार प्रबंधक
 कोषागार प्रमुख, उपकोषागार
 बैंक की मुहर सहित
 Authorised Signatory
 भावन्ती

पान 3

[प्रत्युत्कर्षा अथवा प्राचीं द्वारा एवा कये कावा]
एए विपयक कायलाण कन नो 13561
जलमक

नेप वा (अथवा) एवा प्रभुत करे का विवाक 06-Apr-2013
प्रत्युत्कर्षा वा प्राचीं का नाम गठ डिपार्ट विठ एठ डीप, लिठ द्वारा संतोष कुमवार ।
नेप का प्रकार विवाक अनुसंध विवेकर (अथवा)

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|------|
| निलम की अथवा | 0.00 | / | 0.00 |
| 1. मरिदिकता मुक्त | 10,000.0 | | |
| 2. एतिलेपिकता मुक्त | 40 | | |
| 3. विवेक वा तालम मुक्त | | | |
| 4. मुलमनवा के अधिपता काय के लिए मुक्त | | | |
| 5. इतिलेप मुक्त | | | |
| 6. विलिपि | | | |
| 7. एतिलेप मता | | | |

1 म म ली का योग 10,040.0
मुक्त प्रभुत कये का विवाक 06-Apr-2013

विवाक एठ नेप प्रभुतिये वा संतोष प्रका पर
जलम कान के लिए विवाक 06-Apr-2013

मरिदिकता अधिका के संकाय



आई एच डी एम्प्लॉयर्स असोसिएशन

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्

आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या... 412

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

दिनांक... 6th November 13

सेवा में,

Garner Brothers & Developers Ltd.

Sec. No. Sachin, Kanan, Kanan

21.69.2/23.2/2/2/11D-25 Vindavan Kanan

Ground Floor, 1st

विषय : भवन/मूखण्ड संख्या 11/6/11-20 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/मूखण्ड संख्या 11/6/11-20 का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रु० 2,19,06,000 के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/मूखण्ड का कब्जा पत्र मौखिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिषद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबन्धक/सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

पु०सं०

/उक्त/

तद् दिनांक

प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबन्धक/सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

5958/13



126
128

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 677463



5

आवन्टी



Handwritten signature

विशेष जिला अधिकारी

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
धुपडासिंग भूखण्ड के लिए किराया किरत कर का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 04 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन सम्पत्ति उत्तर प्रदेश सरकार एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य

कमरा: 2 पर

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

Handwritten signature
Authorized Signatory
आवन्टी

Handwritten signature
सम्पत्ति प्रबंधक
धुपडासिंग भूखण्ड, लखनऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BE 548582



(2)

उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपश्चात् 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

For M/s Deseve Builders & Developers Ltd.

S. Kishor
Authorized Signatory
आविष्ठी




[Signature] कमरा: 3 पर
सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

13996
A

1621-13
15 NW DIST CO. S. 205 S. 205
A

END



(3)

माध्यम से होता है। एक पक्ष और मैसर्स डिजर्न बिल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से द्वारा श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी-2/6,D-2/23,D-2/24 & D-2/25 विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ जिसे एतद्वारा किराया-किस्त कंटा कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतद्वारा यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशित और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशित भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक गुप्त हाउसिंग भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किस्त कंटा ने स्वामी से किराया किस्त कय योजना के अधीन एक गुप्त हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवंटन किया है और स्वामी ने एतद्वारा निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किस्त कंटा को गुप्त हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।


और चूंकि किराया-किस्त कंटा ने ₹० 21,90,59,554.00 (शब्दों में केवल ₹० इक्कीस करोड़ नब्बे लाख उनसठ हजार पाँच सौ चौबन मात्र) का भुगतान प्रथम किस्त के रूप में कर दिया है जिसमें टोकन हेतु जमा बचाना धनराशि सम्मिलित है।

उक्त गुप्त हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-7- का कुल मूल्य ₹० 31,29,42,220.00 (इक्तीस करोड़ उनतीस लाख ब्यालिस हजार दो सौ बीस मात्र) जिसका आधा ₹० 15,64,71,110.00 (पन्द्रह करोड़ चौसठ लाख इक्ठ्तर हजार एक सौ दस मात्र) होता है। आवंटन द्वारा यदि किस्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

अब यह मिलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया-किस्त कंटा से प्रसविदा करता है और सहमत है और किराया-किस्त भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित शर्तों से प्रसविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

1- किराया -किस्त कंटा को गुप्त हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का जिसकी संख्या 11/GH-7- है और जो वृन्दावन योजना संख्या-3 के लखनऊ में सेक्टर संख्या 11 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आगे दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है,कब्जा दिहा जायेगा।

For M/s Desare Builders & Developer Ltd.


Authorized Signatory

संतोष




उत्पाति मन्त्र
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमशा 4 पर

(4)

2-किराया-किस्त कंटा उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 06 (छ) वर्ष की एक नियत अवधि तक प्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार ग्यारह के मार्च-13 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के फरवरी मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी-

(क) किराया-किस्त-कंटा रु० 1,36,53,982.00 (रु० एक करोड़ छत्तीस लाख तिरपन हजार नौ सौ बयासी मात्र) की मासिक किस्त मांग की प्रतीक्षा किए बिना उक्त माह में जिसमें मासिक किस्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किस्त कंटा द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह मार्च-13 की प्रथम किस्त के रूप समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष-2013 के माह जून -13 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेंडर मास के तुरन्त बाद किराया-किस्त कंटा की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।

(ख) किराया-किस्त का आवंटन की योजना में क्या निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के समी करो, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का वह वह किसी भी प्रकार की हो जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भू- स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किस्त-कंटा- स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा।

परन्तु किराया-किस्त कंटा की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उक्त किस्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

(ग) किराया-किस्त कंटा सम्पत्ति के साक्ष-साध सम्भरण, जल निस्तारण बिजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की भरभर (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य और आवश्यक वार्षिक नीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करावेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में

अवन्टी
P. S. Sharma Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory
अवन्टी


सम्पत्ति प्रबंधक
इन्दावन योजना, लखनऊ

पृष्ठ 5 पर

(5)

(घ) किराया-किस्त क्रेता ऐसे कोई काम या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य गुण हाउसिंग भूखण्डों के अध्यासियों की या पडोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।


(ङ) किराया-किस्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत आवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किस्त क्रेता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किस्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिस स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

(च) किराया-किस्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मचारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप-लाइन, सौवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

(छ) किराया-किस्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा और परिषद द्वारा पहले से स्वीकृत निर्माण पर कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) किराया-किस्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिस वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कबले से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष आवधि के लिए होगा और पथारिथति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आवद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

Firm's Director Builders & Developers Ltd.



Authorized Signatory





सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, वृन्दावन

कमरा: 6 पर

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्त्र नहीं होगा जहां समनुदेशिनी या अन्तरिनी कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में क्या उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(अ) किराया-किस्त कंता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

(ब) किराया-किस्त कंता किसी भी स्तर पर किल्ली कारणों से चाहे जो भी हो जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियां उठे या दावे प्रस्तुत किये जायें।

(क) किराया-किस्त कंता इस योजना की अधीन तसपर जाने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करेगा जो इस विलेख के अग सम्झे जायेंगे और इनके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पश्चात् के बीच एतद्वारा सहमति है।

(ख) उक्त सम्पत्ति किराया-किस्त कंता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किस्त कंता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का बचन देता है।

(ग) किराया-किस्त कंता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किस्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि मुख्यतः उपरोक्त कारण उचित दूट-कूट को छोड़कर उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था। किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किस्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

For M/s Diverse Builders & Developers Ltd.

D. Nigam
Authorized Signatory
आविन्दी



[Handwritten Signature]

सम्पत्ति प्रबंधक
सुशासन योजना, लखनऊ

क्रमशः 7 पर



1

(7)

(द) किराया-किस्त कंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशित को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तर्गत करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किस्त कंता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किस्त कंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विध्विष्ट किया जा सकता है और किराया-किस्त कंता उपयुक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

परन्तु किराया-किस्त कंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर कंता के वारिस/वारिसों को स्वामी द्वारा इस विलेख के हितधिकारी/हितधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(ए) किराया-किस्त कंता वेगों का जिनका इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है, पुरा और नियमित भुगतान करेगा। किस्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किस्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रवेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किस्त कंता तदनुसार किस्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किस्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और कंता को बंदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को मू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया-किस्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रकिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

(ह) यदि किराया-किस्त कंता सम्पत्ति या साझा भाग या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुंचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किस्त कंता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रणाली का भुगतान करेगा।

For M/s. Design Builders & Developers Ltd.

आविन्दी Authorized Signatory



[Handwritten Signature]

सम्पत्ति प्रबंधक
भुगतान बोर्ड, साउथ

उमरा: 8 पर

(ब) यदि किराया-किस्त केता किराया-किस्त कथ की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदात्री को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी दायों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किस्त केता द्वारा किरायेदात्री को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की प्रसूली करेगा।

(द) इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जाच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात् यदि स्वामी को शय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा, किराया-किस्त-केता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान दिया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किस्त केता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किस्त केता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को सम्पहरण हो जायेगा।

(घ) स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किस्त केता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा दिये सभी भुगतान करके और इनमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण किराया या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक उपभोग करेगा और उसका उपभोग करेगा।

इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किस्त कथ के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकरिमिकता के कारण जिसका एतदपश्चात् विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसके भुगतान करने के लिए सहमत है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

(ग) उक्त भूखण्ड का किराया-किस्त केता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किस्त केता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा स्थान प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

For M/s Desore Builders & Developers Ltd.

B. Mishra

Authorized Signatory



[Handwritten Signature]
संपत्ति प्रबंधक
इन्डियन को-ऑप. सचिवालय

कमरा 9 पर

(9)

3. स्वामी एतद्वारा किराया-किस्त केता को किराया-किस्त ऋय की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करवा उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो सभी दायों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किस्त केता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का सम्पत्ति के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4. यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगा और किराया-किस्त केता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

(10)

अनुसूची-1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण इकाई-03 के सभी रुप हाउसिंग भूखण्ड जिसकी संख्या 11/GH-7 एवं भूमि का क्षेत्रफल 12034.26 वर्गमी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :

उत्तर- 12.00 मी० चौड़ी सड़क

उत्तर- 173.10 वर्गमी०

दक्षिण- भूखण्ड संख्या 11/GH-8

दक्षिण- 136.30 वर्गमी०

पूर्व- 30.00 मी० चौड़ी सड़क

पूर्व- 120.53 मी० चौड़ी सड़क

पश्चिम- पार्क

पश्चिम- 53.00 वर्गमी०

इस किराया किस्त ऋय अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री आर० के० गौड़, सम्पत्ति प्रबन्धक ने तथा आवटी मैसर्स डिजर्ब विल्डर्स एण्ड डेवलपर लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र आश्रयिता 11/GH-7 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.



Authorized Signatory





अधिकारी
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमरा: 10 पर

(10)


अनुसूची-2

इस अनुबंध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान लखनऊ

दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर: 

2-नाम: M. S. HARIAN

3-पता: 209/25/1, Shital Khari
Gandhi Street Road
Aunghli, U.Ko-226104

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर: 

2-नाम: Shiv Prakash Tewari
Type 2/6 St. R.M.L. Hospital
Gomtinagar, Lucknow

3-पता:

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर:

2-नाम: 

3-पता: 

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर: 


2-नाम:


3-पता:

किरिया किरत कंटा का

सुपाद्य हस्ताक्षर और पता)

For All Design Builders & Contractors



1-हस्ताक्षर: 

2-नाम: मेसर्स डिजर्व बिल्डर्स एण्ड

डेवलपर लि०

नाम: श्री संतोष कुमार मिश्र

पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र

3-पता: -B-2/6, D-2/23 D-2/24 & D-2/25,

विभूति सण्ड गौमती नगर

लखनऊ।

परिषद की ओर से एक उसक लिए



संस्थापित प्रशासक
पुनर्वास योजना, लखनऊ

किरायेदारी सम्पत्ती उपबन्ध

(1) यह उपबन्ध किराया-किस्त कंता पर लागू होगा जो और जिसके साथ-साथ उसके प्लेट/मुखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) किराया-किस्त कंता अपने प्लेट/भवन/मुखण्ड के भीतर कूड़े, रद्दी कागजों, मुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।

(3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।

(4) स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, मुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।

(5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेट्टी को किराया-किस्त कंता के प्लेट/भवन/मुखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।

(6) भवन के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

(7) किराया-किस्त कंता के प्लेट/भवन/मुखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चौरों और पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

(8) प्लेट/भवन/मुखण्ड के या कॉलोनी के किसी भाग का उपयोग अंतरराज्यक ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।

(9) भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

(10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

(11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की शक्यता रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की तारों और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पावे।

(12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चपूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

For M/s Dharma Builders & Developers Ltd.


Anand
(Authorized Signatory)


सम्पत्ति प्रबंधक
दृन्दावन भोजन, लखनऊ

कमरा: 12 पर

(13)परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाह आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14)उपयुक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त कंटा के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) युप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू होना चाहेंगी।

नोट-(1) उक्त युप हाउसिंग भूखण्ड के फर्म द्वारा किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प एक्ट की धारा-10A के अधीन जिलाधिकारी(Mo) लखनऊ के आदेश सख्या-07 दिनांक 02.04.2012 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान सख्या-जी-100002 दिनांक 13-03-2013 के विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 02.04.2013 को निर्गत रूपये 3,55,56,000.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रूपये 600-00 के जनरल स्टाम्प पेपर पर किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट-(2) अतः शासनादेश सं.वि.कॉ.नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रूपये 2,19,06,040.00 में अदा किया जा रहा है।

नोट-(3) उक्त युप हाउसिंग भूखण्ड भवन सख्या 11/GM/7 का आवंटन पत्र सख्या 8274 दिनांक 17-11-2012 को निर्गत किया गया है। उक्त भूखण्ड का किराया किश्त किरायेदारी अनुबन्ध छ माह के अन्दर किया जा रहा है। अतः परिषद मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

नाम:- मेसर्स डिजर्व डेवलपर्स एण्ड

डेवलपर लि०

श्री संतोष कुमार मिश्र

पता B-2/6, D-2/23 D-2/24 & D-2/25,

विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

(आर०कॉ०गो०ड)
सहायक प्रमुख
सुपरीवेन योजना, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000



ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(13)

मैसर्स डिजार्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2/25 विमुक्ति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में हुए हाजसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के विनया किरत विनयागानी अनुबंध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किए जा रहे हैं।

आवन्ती



For M/s Osorve Builders & Developers Ltd

(Signature)
Authorized Signatory

(Signature)
संयोजक अधिकारी
प्लॉट नं० आवास एवं विकास परिसर
दुर्गापुर रोड, लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC-831328



(५)

मैरासु डिजाईन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6,D-2/23,D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ के पक्ष में मुफ्त हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किराया किरायेदानी अनुबंध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

आवन्टी



For M/s Overseas Builders & Developers Ltd.

[Signature]
Authorized Signatory

[Signature]
संपत्ति प्रबंध अधिकारी
20 No. आवास नॉ. निवास संतोष
दुर्गापुर, लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC/831329



(5)

मैसर्स डिजिटल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2/25 विनूति खण्ड मोमती नगर लखनऊ के प्लॉ में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किरात पिसायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

आवन्टी



Form's Create Builders & Developers Ltd

Signature
Authorized Signatory

Signature
सहायक सचिव अधिसारी
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956226


(16)


मैसर्स डिजार्ज बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में सुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किरत किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

कमरा: 19 पर

आवन्टी

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd


Authorized Signatory


सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी
एन.ए. जयवंश एवं निवास निवास
सुखनगर किराया, लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956227


(17)

मैसर्स डिजर्ब बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विंग्ति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में सुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किरस्त किरायादानी अनुबंध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

कमरा: 5 पर

आवन्ती

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory


सम्पत्ति अधिकारी
६० ई० बंगला एण्ड विंगल परिसर
मुम्बई नगर, महाराष्ट्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956228

(8)

मैसर्स डिजाईन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में गुण हाउसिंग मूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किरत किरायेदानी अनुबंध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से संलग्न किये जा रहे हैं।

कमरा 9 पर

आवन्टी

For M/s Deserve Builders & Developers Ltd.

Deserve
Authorized Signatory

सन्तोष कुमार मिश्र
क-१०, काशीपुर रोड, निवासी, लखनऊ
उत्तर प्रदेश, भारत



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 956229



(19)

मैसर्स डिजाईन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6.D-2/23,D-2/24 & D-2-2/25 किमूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ के पक्ष में गुप हाउसिंग भूखण्ड सख्या 11/GH-07 के किराया किस्त किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पोस्ट अलग से संलग्न किये जा रहे है।

कमरा: 20 पर

आवन्ती

For M/s Diverse Builders & Developers Ltd.


Authorized Signatory


श्री संतोष कुमार मिश्र
20/60 जागत एन विकास परियोजना
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

क्र. संख्या _____ / १९

प्राप्त दिनांक की तारीख _____ ०६/०५/१९

प्राप्त करने वाले का पता _____

संलग्न किया जा रहा है कि _____ के द्वारा प्राप्त किया गया है।
— ३३/१२/१९ —

प्राप्त की संख्या _____ १००१


संज्ञित एवं प्राप्त किया
संज्ञित सं. ११९
संज्ञित सं. ३१-३-१९९९
विशेष प्रा. अ. अ. अ.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AB 640650

(2P)

मैसर्स डिजिटल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि० की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्र पुत्र श्री प्रहलाद मिश्र निवासी- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-07 के किराया किरत किरायेदानी अनुबन्ध के साथ यह स्टाम्प पेपर अलग से बलम्ब किये जा रहे हैं। अब कुल रु० 2,19,00,010.00 पर किरत किरायेदारी अनुबन्ध निष्पातित विधा जा रहा है।

हरताक्षर
नाम:- मैसर्स डिजिटल बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लि०
श्री संतोष कुमार मिश्रा
पता:- 2/6, D-2/23, D-2/24 & D-2-2/25
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

Authorized Signatory
आवन्टी

(आर०के०गौड़)
सम्पत्ति प्रबन्धक
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी
ए०के० आर्यात एवं विद्याल परिवार
लखनऊ

क्र. संख्या 118

संस्था विकास की तिथि 06/04/17

संस्था का कार्य का प्रकार 140

संस्था का नाम व पूरा पता मे. प्र. डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स एंड सचिव देवनागर सिटी

पता की संख्या 140


संस्था के नाम: सामाजिक विकास
संस्था का पता: 210
संस्था की स्थापना: 31-3-2017
संस्था का प्रकार: 140



पन्ना संख्या 121

सदर जिला की सीमा 06/04/13

सदर जिला की सीमा 13

सदर जिला की सीमा 06/04/13 की सीमा पर 295 पृष्ठों के

सदर जिला की सीमा 13

सदर जिला की सीमा 06/04/13
सदर जिला की सीमा 13-3-2013
सदर जिला की सीमा 13

आज दिनांक 06/04/2013 को
परी पं 1 जिला सं 15505
पृष्ठ सं 295 से 338 पर क्रमांक 5958
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी. सी. सिंह
उप-निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
6/4/2013

